2026/95

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

कानाराम वगैरह
निवासीगण–लालास

किस्म प्रकरण : प्रा.पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर.

मुकदमा नं. 43/ 2026

रिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
03.2026	प्रार्थी तहसीलदार कुचामनसिटी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 131, 132 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। मिसल दिनांक 20.03.2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	
22/3/26	बगावली पेश हुई। बहादीगण की जवाब बाबत तामील प्राप्त हुये। पुनः RAD जारी हो। मिसल दिनांक 06/4/26 को पेश हो।	
06/4/26	बगावली पेश हुई। बहादीगण को RAD तामील प्राप्त हुये। पत्र शामिल रहे। प्रकरण में तामील के प्राप्त होने पर भी गैर हाजिर रहे। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आगे में जारी जारी है। मिसल में बहस एक पक्षीय सुनी गई। मिसल/प्रार्थना स्वीकार योग्य होने के स्वीकार किया जाता है। विवादित भूमि अलाट के लिए भाकर शामिल है। प्रकरण अपने नफा के कारण होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नावां	